



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

4 जनवरी 2022

रिज़र्व बैंक ने 2021 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की

एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान [2020 के डी-एसआईबी की सूची](#) के अनुसार समान बकेटिंग संरचना के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक्षण बफर के अलावा होगी।

डी-एसआईबी की सूची निम्नानुसार है-

बकेट	बैंक	जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं
5	-	1%
4	-	0.80%
3	भारतीय स्टेट बैंक	0.60%
2	-	0.40%
1	आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक	0.20%

पृष्ठभूमि:

रिज़र्व बैंक ने [22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों \(डी-एसआईबी\) से निपटने के लिए फ्रेमवर्क](#) जारी किया था। डी-एसआईबी फ्रेमवर्क के तहत रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करने की आवश्यकता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना है। बकेट के आधार पर जिसमें डी-एसआईबी को रखा गया है, एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी अपेक्षा को इसके लिए लागू किया जाना है। यदि कोई विदेशी बैंक, जिसकी शाखा भारत में मौजूद है और वह एक [प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक](#) (जी-एसआईबी) है, तो उसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होता है, अर्थात् गृह नियामक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर (राशि) को, समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत आरडब्ल्यूए द्वारा गुणा करके कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए से विभाजित करना।

रिज़र्व बैंक ने [2015](#) और [2016](#) में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक को भी डी-एसआईबी घोषित किया गया था। यह अद्यतन जानकारी 31 मार्च 2021 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1490

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक